# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रार्थना पत्र प्र.सं. 101/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/212<br>सुभाषचन्द्र बनाम सरकार<br>अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 – 151 सिविल प्रक्रिया संहिता | नम्बर व तारीख अहकाम |
|---|---|---|
| 24.12.2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को प्रकरण की तारीख के संबंध में ज्ञान नहीं था क्योंकि पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर आई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी समय पर प्रार्थी को सूचना नहीं दी गयी। अनूपगढ़ आकर अधिवक्ता मुकर्र करने पर न्यायालय से अपील प्रकरण के दिनांक 02.05.2024 अदम हाजरी अदम पैरवी में निस्तारित होने का ज्ञान हुआ। प्रार्थी सद्भावी है। प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में गैरहाजिर नहीं रहे है। आदेश दिनांक 02.05.2024 को अपास्त कर अपील पुनः स्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया।<br>बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली प्र.सं. 82/2023 सुभाषचन्द्र बनाम स्टेट अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 02.05.2024 का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश दिनांक 02.05.2024 का है परन्तु प्रकरण को पुनर्स्थापित करने हेतु आवेदन करने के लिए 30 दिवस की अवधि निर्धारित है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई ठोस स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष जाहिर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके अधिवक्ता श्रीगंगानगर में नियुक्त थे और उन्हें पत्रावली अनूपगढ़ हस्तांतरण होने का ज्ञान नहीं था। परन्तु मूल पत्रावली प्र.सं. 82/2023 का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने के उपरान्त अपीलार्थी को सूचना नोटिस न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया जो कि इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ कि अपीलार्थी पते पर निवास नहीं करते है जबकि नोटिस अपीलार्थी द्वारा दर्ज करवाए गए अपने पते गांव 2 आईडब्ल्यूएम पर जारी किया गया था। इस पर पत्रावली के पूर्ववर्ती न्यायालय से हस्तांतरित होने के पश्चात अपीलार्थी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हाने के कारण प्रकरण अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में भी अपना पता 2 आईडब्ल्यूएम दर्ज करवाया है परन्तु निवास स्थान का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।<br>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश सुनाया गया।<br><br>(अवधेश मीना)<br>जिला कलक्टर<br>अनूपगढ़ I.A.S.<br>कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट<br>अनूपगढ़ | |

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)